पत्रावली आइन्दा..6/10/23 .को पेश हो।

06/10/23 पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के सम्मन उक्त द्वारा भेजकर रसीदें पेश की गई रसीदें शामिल पत्रावली की गई विप्रार्थीगण अनुपस्थित विप्रार्थीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन तीन आवाजें दिलाई गई बावजूद आवाजें दिलाने के विप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण की पत्रावली पर बहस सुनी गई निर्णय अलग से लिखकर जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 222/2022

प्रार्थीगण :–

1. दुर्गाराम पुत्र रूपाराम
2. भानाराम पुत्र रूपाराम
3. बुधराम पुत्र रूपाराम
4. हरीराम पुत्र रूपाराम फौत
5. नेनू पत्नी रूपाराम फौत
6. गवरी पत्नी रूपाराम जाति विश्नोई निवासी लाला की बेरी बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. दुर्गा पुत्र हरचंद
2. पेमा पुत्र हरचंद
3. नेनू पत्नी हरचंद
4. भीयाराम पुत्र पुनमाराम
5. अना पुत्र हिमताराम
6. सूरा पुत्र हिमताराम
7. धमाराम पुत्र हराराम
8. मगी पत्नी हराराम
9. देवाराम पुत्र केहराराम
10. लिखमाराम पुत्र केहराराम
11. वीरो पत्नी केहराराम
12. फरसाराम पुत्र लुमाराम
13. हथू पत्नी केसाराम जाति जाट निवासी लाला की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
14. किशनाराम पुत्र वरीगाराम
15. बुधाराम पुत्र वरीगाराम
16. मंगलाराम पुत्र वरीगाराम
17. बगतु पत्नी वरीगाराम जाति विश्नोई निवासी अणदाणियों की बेरी राणासर खुर्द तहसील नोखडा
18. अर्जुनराम पुत्र कलाराम
19. उमाराम पुत्र कलाराम
20. धनाराम पुत्र कलाराम जाति नाई निवासी लाला की बेरी बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
21. सोनाराम पुत्र कानाराम जाति नाई निवासी लाला की बेरी बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
22. टीकूराम पुत्र मोटाराम
23. धूडाराम पुत्र मोटाराम
24. पुनमाराम पुत्र मोटाराम
25. हजारीराम पुत्र मोटाराम जाति सुथार निवासी लाला की बेरी बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाडमेर
26. पुखराज पुत्र खेताराम
27. पाबूराम पुत्र खेताराम
28. पदमो पत्नी खेताराम
29. बाबूलाल पुत्र रतनाराम
30. भगाराम पुत्र रतनाराम
31. लाछी पत्नी रतनाराम जाति जाट निवासी लाला की बेरी तहसील नोखडा जिला बाडमेर
32. चन्दा पुत्री हरजी जाति विश्नोई निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखडा जिला बाडमेर
33. धनाराम पुत्र कानाराम
34. भीयाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी राणासर खुर्द तहसील नोखडा जिला बाडमेर
35. तहसीलदार नोखडा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **विप्रार्थीगण –एकतरफा**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 06.10.2023

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2076–2079 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा लाला की बेरी पटवार हल्का बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 386, 396, 877/303 रकबा क्रमशः 4.1925, 3.8850, 1.6430 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोखडा को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा सालू की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान के खेत खसरा नम्बर 386, 396, 877/303 रकबा क्रमशः 4.1925, 3.8850, 1.6430 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक, गोलिया जैतमाल को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नोखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना गुडामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नोखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 6/10/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी